रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231116
CG-DL-E-13112021-231116

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4355] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943
No. 4355] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2021

का.आ. 4721(अ).—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार द्वारा श्री एस. भीष्मानन्द (स्पेशल ग्रेडडिप्टी कलेक्टर, आन्ध्र प्रदेश सरकार), जिन्हे का. आ. 66(अ) दिनांक 27.12.2019 द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विशाख–विजयवाड़ा–सिकंदराबाद पाइपलाइन परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है, को आन्ध्र प्रदेश में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विशाख–रायपुर पाइपलाइन परियोजना में भी सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है। श्री एस. भीष्मानन्द को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विजयवाड़ा धरमापुरी पाइपलाइन परियोजना में श्री ए. वेंकट राव तथा श्रीमती पेड्डी रोजाजो का. आ. 2231, दिनांक 21.09.2017 तथा का. आ. 1346(अ), दिनांक 07.03.2019 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्यरत है, के साथ उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत आंन्ध्र प्रदेश में सक्षम प्राधिकारी के रूप अधिसूचित किया जाता है।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025(11)/12/2018-ओआर-1/ई-25587]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2021

S.O. 4721(E).— In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes Shri. S. BHEESHMANAND (Special Grade Deputy Collector, Government of Andhra Pradesh, who has already been notified as Competent Authority for Visakh – Vijayawada - Secunderabad pipeline project of Hindustan Petroleum Corporation Limited, vide S.O.No. 66(E) dated 27.12.2019, also to perform the function of Competent Authority to Hindustan Petroleum Corporation Limited for Visakh - Raipur Pipeline project. Shri S. BHEESHMANAND shall also perform the functions of Competent Authority to HPCL's Vijayawada Dharmapuri Pipeline Project in addition to Shri A.Venkata Rao and SmtPeddiRoja who have already been notified as Competent Authority, vide S.O.2231 dated 21.09.2017 and S.O.1346 (E), dated 07.03.2019, under the said Act within the State of Andhra Pradesh.

This notification will be effective from the date of Issue.

[F. No. R-11025(11)/12/2018-OR-1/E-25587]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.13 14:08:55 +05'30'